न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 405 / 2023

प्रार्थी
तहसीलदार
बाड़मेर ग्रामीण

बनाम

अप्रार्थीगण

केवलभारती पुत्र सुरतभारती, गुल भारती पुत्र बलवन्त भारती, चनणभारती पुत्र जेठभारती, चेल भारती पुत्र मोतीभारती, चिमनभारती पुत्र मोतीभारती, तेज भारती पुत्र उम्मेदभारती, तुलछी भारती पुत्री अचल भारती दुर्गभारती पुत्र बलवन्तभारती, दुर्गभारती पुत्र बलवन्तभारती, प्रेमभारती दत्तक पुत्र पदमभारती, पवनभारती पुत्र बलवन्तभारती, पोकरभारती पुत्र बलवन्तभारती, भगभारती पुत्र सूरतभारती, भूरभारती पुत्र सूरतभारती, भीखाभारती पुत्र मोहनभारती, मुलभारती पुत्र ईसरभारती, रूपभारती पुत्र मोहनभरती, रूपोदेवी पत्नी सूरतभारती, बालीदेवी पत्नी अचलभारती, सजनभारती पुत्र ईसरभारती, हीरभारती पुत्र ईसरभारती जाति स्वामी निवासी सारणों का तला जाखडों की ढाणी तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131 व 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. पैरोकार सरकार।

आदेश

दिनांक 14/01/25

संक्षिप्त में पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 750 रकबा 51.6621 हैक्टयर भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। आज से लगभग 08–10 वर्ष पूर्व खातेदारान द्वारा खेत से घर तक जाने हेतु रास्ता राज्य सरकार के नाम समर्पित करवाया गया था और अभी वर्तमान में ग्रेवल सड़क भी बनी हुई है परन्तु हमने आज से पूर्व कभी पैमाईश नही करवाई परन्तु वर्ष 2023 को पैमाईश करवाने पर खातेदारान द्वारा समर्पण करवाया गया रास्ता व मौके पर बनी ग्रेवल सड़क अलग–अलग जगह हो गये। लिहाजा पूर्व में समर्पण करवाये हुए रास्ते को मौके पर बनी ग्रेवल सड़क के स्थान पर रेकर्ड में संशोधन करवाने का आदेश फरमावे।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ईकतरफा। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण से तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/3424 दिनांक 16.12.2024 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध [illegible] कि ग्राम सारणों का तला के खेत खसरा संख्या 750 में से खातेदारान द्वारा [illegible]4047 हैक्टयर भूमि राज्य सरकार को समर्पित की थी जिसकी वर्तमान रेकर्ड अनुसार स्थिति संलग्न परिशि[illegible] अनुसार है। ग्राम सारणों का तला के वक्त सेटलमेन्ट के खसरा संख्या 76 व 734 (गै.मु. रास्ता) से होते हुए खसरा संख्या 750 तक आने वाले रास्ते के खसरा संख्या 968/719, 884/742, 970/742, 971/743, 973/743 व 971/752 है जिनकी गै.मु. रास्ताहै।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:25:29 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 973/752 व 946/750 आपस में नही जुडते है। मौकानुसार डाला गया ग्रेवल संलग्न परिशिष्ठ 'बी' अनुसार है जिससे खसरा संख्या 973/752 व 946/750 आपस में जुड रहे है। खसरा संख्या 946/750 रकबा 0.4047 हैक्टयर की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' अनुसार शुद्ध किया जाना उचित है। चूंकि उक्त खसरा की तरमीम शुद्ध होने के पश्चात प्रभावित होने वाले खसरा संख्या 1012/750 व 1013/750 के खातेदार एक ही है।

पैरोकार सरकार को सुना गया। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण की तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार ग्राम सारणों का तला के वक्त सेटलमेन्ट के खसरा संख्या 76 व 734 (गै.मु. रास्ता) से होते हुए खसरा संख्या 750 तक आने वाले रास्ते के खसरा संख्या 968/719, 884/742, 970/742, 971/743, 973/743 व 971/752 है जिनकी गै.मु. रास्ताहै। खसरा संख्या 973/752 व 946/750 आपस में नही जुडते है। मौकानुसार डाला गया ग्रेवल संलग्न परिशिष्ठ 'बी' अनुसार है जिससे खसरा संख्या 973/752 व 946/750 आपस में जुड़ रहे है। खसरा संख्या 946/750 रकबा 0.4047 हैक्टयर की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' अनुसार शुद्ध किये जाने की अभिशंषा की है। लिहाजा ग्राम सारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 946/750 रकबा 0.4047 हैक्टयर की तरमीम संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर ग्राम सारणों का तला पटवार हल्का जाखड़ों की ढाणी तहसील बाडमेर ग्रामीण के खेत खसरा संख्या 946/750 रकबा 0.4047 हैक्टयर की वर्तमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ठ 'बी' के अनुसार खसरा संख्या 946/750 की तरमीम दुरूस्त (शुद्धिकरण) की जाती है। तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। मौका रिपोर्ट के संलग्न परिशिष्ठ 'बी' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 14/01/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Veerma Ram
Date: 2025.01.30 10:25:29 IST
Reason: SelfAttested